निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 146/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा सार्व, तृतीय तल, मैट्रिक्स मॉल, सैक्टर–4, जवाहर नगर, जयपुर

प्रार्थी बैंक

बनाम

मैसर्स बालाजी कृपा मेटल्स, प्रा.लि.

1. श्री अनुज गुप्ता पुत्र श्री बनवारीलाल गुप्ता (निदेशक)
2. श्री समर्थ गुप्ता पुत्र श्री अजय गुप्ता (निदेशक)

पता :– बी–87, जनता कालोनी, जयपुर।
एवं 194–बी–1, रिको औधोगिक क्षेत्र, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थी
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री सैयद आसिम हुसैन अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री अपूर्व माथुर अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश

दिनांक 12.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.11.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स बालाजी कृपा मेटल्स प्रा.लि. निदेशक श्री अनुज गुप्ता व श्री समर्थ गुप्ता के स्वामित्व की औधोगिक भू–खण्ड संख्या 194–बी–1, रिको औधोगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन क्षेत्रफल 1305.27 वर्गमीटर को बंन्धक कर कुल राशि 01,75,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री अपूर्व माथूर ने वकालतनामा, जवाब व माननीय न्यायालय डी.आर.टी. में विचाराधीन वाद की आदेशिका दिनांक 09.12.2020 की प्रति पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–14 सरफेसी एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय डी.आर.टी. जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाने का निवेदन किया है किन्तु माननीय डी.आर.टी.जयपुर द्वारा ऋणी के प्रार्थना–पत्र पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है तथा बैंक की सरफेसी कार्यवाही में कोई विधिक बाधा नहीं है।

4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय डी आर टी जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाने का निवेदन किया है, किन्तु माननीय माननीय डी आर टी जयपुर द्वारा ऋणी के प्रार्थना–पत्र पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है तथा बैंक की सरफेसी कार्यवाही में कोई विधिक बाधा नहीं है। इसलिए अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन स्वीकार नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 01,75,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 91,66,999/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में मैसर्स बालाजी कृपा मेटल्स प्रा.लि. निदेशक श्री अनुज गुप्ता व श्री समर्थ गुप्ता के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति औधोगिक भू–खण्ड संख्या 194–बी–1, रिको औधोगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन क्षेत्रफल 1305.27 वर्गमीटर का का भौतिक रूप से कब्जा माननीय ऋण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

वसूली अधिकरण के आदेश के अध्यधीन प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त बंधक सम्पत्ति का प्रार्थी बैंक को कब्जा प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को कब्जा दिलाने हेतु सबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें । आदेश की प्रति हस्त्र कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर